TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Corrigendum

The 23rd December, 1993

No. 18103.—In partial Modification of this Department notification issued ,—*vide* No. JD-92/HGA-5/458, dated 30th April, 1992, appearing in the *Haryana Government Gazette,* dated 19th May, 1992, the words "Kishan Garh Branch" appearing in the plan appended to the said notification may be read as "Jakhoda Distributory".

PRADEEP KUMAR,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department, Chandigarh.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर पुरस्कार

दिनांक 21 दिसम्बर, 1993

क्रमांक 3925-ज-2-93/24088.—श्री शेर सिंह, पुत्र श्री लायक राम, निवासी गांव छितरोली, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4829-जे.एन.III-66/11740, दिनांक 14 जून, 1966 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री शेर सिंह की दिनांक 11 जुलाई, 1993 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री शेर सिंह की विधवा श्रीमती छन्नो के नाम रबी, 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 23 दिसम्बर, 1993

क्रमांक 3924-ज-2-93/24289.—श्री घीसा राम, पुत्र श्री बोदन राम, निवासी गांव निमोठ, तहसील रिवाड़ी जिला गुड़गांवा अब रिवाड़ी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1) तथा 3 (1) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 268-र-3-69/8484, दिनांक 21 अप्रैल, 1969 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री घीसा राम की दिनांक 27 मई, 1988 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री घीसा राम की विधवा श्रीमती समाकौर के नाम खरीफ, 1988 से खरीफ, 1992 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

आर. एल. बाबला,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।